रिपोर्ट पटवारी हल्का कोटड़ी

श्रीमानजी, राजस्व ग्राम - कोटड़ी सिमारला के खाता - नं. - 149, 190, 193 के प्रार्थी खातेदार का नाम - राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मूला दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेज यथा - आधार कार्ड, पेन आधार कार्ड, राशन कार्ड

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत ———

प्र.क्र. कोटड़ी सिमारला

इत्यादि में प्रार्थी का नाम - राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद दर्ज है, अतः श्रीमान जी, राजस्व ग्राम - कोटड़ी सिमारला के खाता नं. - 149, 190, 193 के प्रार्थी खातेदार का नाम - राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद दुरुस्त किया जाना उचित है।

LR-30
07/06/23

रिपोर्ट तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

श्रीमानजी
मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का एवं भू.अ.नि. जाँच के ग्राम कोटड़ी सीमारला के खाता सं. 149, 190, 193 में खातेदार का नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मूला अंकित दर्ज है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खातेदार का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद दुरुस्त करना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश

मुताबिक पटवारी व भू.अ.नि. रिपोर्ट संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार की अभिशंसा के अनुसार कोटड़ी के ख.सं. 149, 190, 193 में दर्ज राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मूला के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 10:20:12 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को नामांतरण दर्ज हेतु नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करें